

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी।

इलाहाबाद, बस्ती, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, बहराइच एवं वाराणसी।

पत्रांक सं०- एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/NPCDCS/2017-18/107946 दिनांक 18-01-18

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 में COPD हेतु चिन्हित Drugs के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 की राज्य कार्ययोजना में एफ०एम०आर० मद सं० बी० 16.2.5.1 NHM Free Drug Services पर कुल रू० 2810.00 लाख की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके अन्तर्गत Drugs for COPD हेतु प्रति जनपद रू० 25.00 लाख की दर से धनराशि सम्मिलित है।

2. अतः भारत सरकार के अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित तालिकानुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में COPD हेतु चिन्हित Drugs के क्रय हेतु कुल रू० 250.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है—(Payment Advice No. C011804246429 दिनांक 15.01.2018)

Amt. in Rs.

Sl. No.	Name of districts	Name of Hospital/Institute	Drugs for COPD
			B.16.2.5.1
1	Allahabad	MLN Hospital	2500000
2	Basti	District Male Hospital	2500000
3	Gorakhpur	District Male Hospital	2500000
4	Jhansi	District Male Hospital	2500000
5	Kanpur Nagar	UHM Hospital	2500000
6	Lucknow	Dr SPM Hospital	2500000
7	Mirzapur	Divisional Hospital	2500000
8	Sonbhadra	District Combined Hospital	2500000
9	Baharich	District Male Hospital	2500000
10	Varanasi	District Male Hospital	2500000
Total			25000000

3. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देश में COPD हेतु औषधियों की सूची निम्नवत् है -

S.No	list of Drugs
1	<b>Bronchodilators</b> <b>C. Inhaled:-</b> Dry Powder Inhalers, Metered Dose Inhalers, Nebulization, solution, levosabutamol, salbutamol, Inratotpium, Formoterol, Salbutamol, Ipratropium, Formoterol, Salmeterol, <b>D. Oral:-</b> Theophylline, Salbutamol
2	<b>Corticosteroids</b> <b>D. Parenteral:-</b> Hydrocortisone, methyl - prednisolone, Dexamethasone

	<b>E. Oral:-</b> Prednisolone, methyl-prednisolone , <b>F. Inhaled:-</b> Dry Powder Inhalers, Metered Dose Inhalers, Combination of LABA + ICS (Formoterol + Budesonide, Salmeterol + Fluticasone)
<b>3</b>	<b>Nebulization Solution:-</b> Budesonide, Ipravent + Levoline, Ipravent
<b>4</b>	<b>Antibiotics:-</b> Co- amoxyclav, cephalosporin, marcolides

4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त औषधियों के क्रय हेतु आवंटित धनराशि से जिला चिकित्सालय की आवश्यकता के अनुसार ई0एस0आई0सी0/निदेशक, भण्डार के द्वारा जारी दर अनुबंध के अनुसार उपर्युक्त औषधियों का क्रय करने हेतु सम्बन्धित फर्म को क्रयादेश जारी करते हुये सम्बन्धित फर्म द्वारा आपूर्ति प्राप्त होते ही भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे, सुलभ संदर्भण हेतु उपलब्ध आर0सी0 की तालिका निम्नवत् है-

S.NO	Item name	RC	Rates	Company
1	Tab Salbutamol 4mg	ESI-139A	1.8/10	UNICURE
2	Tab Theophylline CR	ESI-139	6.08/10	UNICURE
3	Inhaler Beclamethasone 200mcg	ESI 139	200 doses	CIPLA
4	Salbutamol Respiratory Solution	ESI 139A	15mg	LUPIN
5	Inhaler Budesonide 100mcg	ESI140	74.9	CIPLA
6	Fluticasone 250mcg+Salmeterol 25mcg	ESI 140	112.47	CIPLA
7	Inhaler Tiotropium 9mcg	ESI 140	114.9	CIPLA
8	Tab Prednisolone 10mg	UPRC	5.30/10	Omega Biotech
9	Tab Ciprofloxacin 500mg	UPRC	10.82/10	Omega Biotech
10	Inhaler Salbutamol 100mcg	ESI 140	42.49	CIPLA

5. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

6. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

8. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

9. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

10. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

11. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

13. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)  
मिशन निदेशक

तद्दिनांक

पत्रांक सं०- एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/NPCDCS/2017-18/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०।
4. निदेशक, भण्डार, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त की जा रही धनराशि एवं औषधि को डी०वी०डी०एम०एस० पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ०प्र०।
6. सम्बन्धित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय।
7. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन०पी०सी०डी०सी०एस०, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०एच०एम० की वेबसाइट- [www.upnrhm.gov.in](http://www.upnrhm.gov.in) पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित।

(डा० ए० बी० सिंह)  
उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी०

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी।  
इलाहाबाद, बस्ती, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, बहराइच एवं  
वाराणसी।

पत्रांक सं०- एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/NPCDCS/2017-18/

दिनांक 18-01-18

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 में COPD हेतु चिन्हित Drugs के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 की राज्य कार्ययोजना में एफ०एम०आर० म० सं० बी० 16.2.5.1 NHM Free Drug Services पर कुल रू० 2810.00 लाख की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके अन्तर्गत Drugs for COPD हेतु प्रति जनपद रू० 25.00 लाख की दर से धनराशि सम्मिलित है।

2. अतः भारत सरकार के अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित तालिकानुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में COPD हेतु चिन्हित Drugs के क्रय हेतु कुल रू० 250.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है—(Payment Advice No. C011804246429 दिनांक 15.01.2018)

Amt. in Rs.

Sl. No.	Name of districts	Name of Hospital/Institute	Drugs for COPD
			B.16.2.5.1
1	Allahabad	MLN Hospital	2500000
2	Basti	District Male Hospital	2500000
3	Gorakhpur	District Male Hospital	2500000
4	Jhansi	District Male Hospital	2500000
5	Kanpur Nagar	UHM Hospital	2500000
6	Lucknow	Dr SPM Hospital	2500000
7	Mirzapur	Divisional Hospital	2500000
8	Sonbhadra	District Combined Hospital	2500000
9	Baharich	District Male Hospital	2500000
10	Varanasi	District Male Hospital	2500000
<b>Total</b>			<b>25000000</b>

3. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देश में COPD हेतु औषधियों की सूची निम्नवत् है -

S.No	list of Drugs
1	<b>Bronchodilators</b> <b>C. Inhaled:-</b> Dry Powder Inhalers, Metered Dose Inhalers, Nebulization, solution, levosabutamol ,salbutamol, Inratotpium , Formoterol ,Salbutamol ,Ipratropium, Formoterol, Salmeterol, <b>D. Oral:-</b> Theophylline ,Salbutamol
2	<b>Corticosteroids</b> <b>D. Parenteral:-</b> Hydrocortisne, methyl - prednisolone , Dexamethasone

	<b>E. Oral:-</b> Prednisolone, methyl-prednisolone , <b>F. Inhaled:-</b> Dry Powder Inhalers, Metered Dose Inhalers, Combination of LABA + ICS (Formoterol + Budesonide, Salmeterol + Fluticasone)
<b>3</b>	<b>Nebulization Solution:-</b> Budesonide, Ipratent + Levoline, Ipratent
<b>4</b>	<b>Antibiotics:-</b> Co- armoxyclav, cephalosporin, marcolides

4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त औषधियों के क्रय हेतु आवंटित धनराशि से जिला चिकित्सालय की आवश्यकता के अनुसार ई0एस0आई0सी0/निदेशक, भण्डार के द्वारा जारी दर अनुबंध के अनुसार उपर्युक्त औषधियों का क्रय करने हेतु सम्बन्धित फर्म को क्रयादेश जारी करते हुये सम्बन्धित फर्म द्वारा आपूर्ति प्राप्त होते ही भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे, सुलभ संदर्भण हेतु उपलब्ध आर0सी0 की तालिका निम्नवत् है-

S.NO	Item name	RC	Rates	Company
1	Tab Salbutamol 4mg	ESI-139A	1.8/10	UNICURE
2	Tab Theophylline CR	ESI-139	6.08/10	UNICURE
3	Inhaler Beclamethasone 200mcg	ESI 139	200 doses	CIPLA
4	Salbutamol Respiratory Solution	ESI 139A	15mg	LUPIN
5	Inhaler Budesonide 100mcg	ESI140	74.9	CIPLA
6	Fluticasone 250mcg+Salmeteramol 25mcg	ESI 140	112.47	CIPLA
7	Inhaler Tiotropium 9mcg	ESI 140	114.9	CIPLA
8	Tab Prednisolone 10mg	UPRC	5.30/10	Omega Biotech
9	Tab Ciprofloxacin 500mg	UPRC	10.82/10	Omega Biotech
10	Inhaler Salbutamol 100mcg	ESI 140	42.49	CIPLA

5. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

6. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

8. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

9. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

10. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

11. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्युरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
13. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।
14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।


भवदीय,

(पंकज कुमार)  
मिशन निदेशक

पत्रांक सं०- एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/NPCDCS/2017-18/6794-9 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०।
4. निदेशक, भण्डार, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त की जा रही धनराशि एवं औषधि को डी०वी०डी०एम०एस० पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ०प्र०।
6. सम्बन्धित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय।
7. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन०पी०सी०डी०सी०एस०, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०एच०एम० की वेबसाइट- [www.upnrhm.gov.in](http://www.upnrhm.gov.in) पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित।

  
(डा० ए० बी० सिंह)  
उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी०